BSNLEU

B S N L Employees Union

(Regd. No. 4896)

M.P. Circle, BHOPAL

(The Only Recognised union in BSNL)

OFFICE:1195,Lal Kothi, Near Brij Sweets,Shahi Naka Road,Gulauatal,Garha,JABALPUR,(MP)

Phone:- 0761-2425789, Website:- www.bsnleump.org Mobile:- 94251 24499

Circle Secretary
S.R.Nayak

Email:srnayak68@yahoo.in

Circle President
Saiyed Raasid Ali

सर्कुलर

दिनांक 01.05.2010

नान–एक्जीक्यूटिव एम्प्लाइज प्रमोशन पॉलिसी (NEPP) दिनांक 23.03.2010 के प्रमुख बिन्दु.

कुछ जिला सचिवों के द्वारा लगातार यह आवश्यकता बताई जा रही है कि एन ई पी पी के प्रमुख बिन्दुओं को हिन्दी भाषा में साइट पर अपलोड किया जावे। कुछ जिला सचिवों ने यह भी जानकारी दी है कि विरोधी यूनियनों की कुछ इकाईयों के द्वारा एन ई पी पी को हानिकारक बताते हुए पर्चे बांटे गए हैं तथा कर्मचारियों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है।

अतः एन ई पी पी के प्रमुख बिन्दुओं पर निम्नानुसार प्रकाश डाला जा रहा है। हमें आशा है कि, इन बिन्दुओं के आधार पर सभी जिला सचिव कर्मचारियों का उचित मार्ग दर्शन करने में सक्षम होंगे।

• एन ई पी पी के प्रमुख बिन्दु •

1. यह प्रमोशन पॉलिसी उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो दिनांक 01.04.2008 को बी एस एन एल के नियमित कर्मचारी हैं।
2. यह प्रमोशन पॉलिसी वेतनमान एन.ई.–1 से एन.ई–10 तक के कर्मचारियों के लिए लागू होगी।
3. प्रत्येक कर्मचारी को बी एस एन एल की अपनी पूरी सेवा–अवधि में कुल चार पदोन्नतियां प्राप्त हो सकेंगी।
4. बी एस एन एल के द्वारा भर्ती किए गए प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक 8 वर्ष के अंतराल से पदोन्नति प्राप्त होगी। इस प्रकार 32 वर्ष की सेवा–अवधि में कुल 4 पदोन्नतियां प्राप्त हो सकेंगी।
5. डीओटी/डीटीएस/डीटीओ से बी एस एन एल में समाहित हो चुके कर्मचारियों को छूट का लाभ देते हुए पहिली पदोन्नति 4 साल में, दूसरी पदोन्नति 11 साल में, तीसरी पदोन्नति 19 साल में तथा चौथी पदोन्नति 27 साल में प्राप्त होगी। इस प्रकार सरकारी विभाग से बी एस एन एल में आये हुए कर्मचारियों को कुल 27 साल की सेवा अवधि में (यदि सर्विस स्पान है तो) 4 पदोन्नतियां प्राप्त हो सकेंगी।
6. इस प्रकार बी एस एन एल में समाहित हो चुके कर्मचारियों को पहिली पदोन्नति 01.10.2004 से प्रभावशील होगी।
7. इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी को अपने फायदे के दृष्टिगत एन ई पी पी से अलग रहने अर्थात् ओटीबीपी/बीसीआर/ग्रेड–IV/एसीपी आदि का विकल्प चुनने का अधिकार दिया गया है।
8. उपरोक्त पैरा 7 के अनुसार विकल्प चुनने वाले प्रत्येक कर्मचारी को एस एस ए प्रमुख द्वारा विकल्प आमंत्रित करने की तारीख से 30 दिन के अन्दर विकल्प चुनना होगा। परिमंडल कार्यालय के कर्मचारियों के लिए जी एम (प्रशासन) के द्वारा विकल्प (Option) आमंत्रित करने की तिथि से 30 दिन के अन्दर विकल्प चुनना होगा।
9. एन ई पी पी में रहने के इच्छुक कर्मचारियों को कोई विकल्प (Option) चुनने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वमेव ही एन ई पी पी में मान लिए जावेंगे।
10. यह प्रमोशन पॉलिसी आटोमेटिक नहीं है। इसके लिए प्रत्येक साल एक अक्टूबर को 5 साल के सर्विस रिकार्ड के अनुसार स्कीनिंग कमेटी द्वारा फिट पाए जाने पर पदोन्नति प्राप्त हो सकेगी।
11. स्कीनिंग कमेटी का एक सदस्य एससी/एसटी का होना अनिवार्य है।
12. यह समयबद्व प्रमोशन पॉलिसी है अर्थात पद आधारित नहीं है इसलिए इसमें एससी/एसटी का रोस्टर प्वाइन्ट मेंटेन होने का प्रावधान नहीं है।सर्विस रिकार्ड के विषय में एससी/एसटी के साथियों को कंसेशन दिया गया है।
13. एन ई पी पी के आदेश की तारीख अर्थात् 23.03.2010 से ओटीबीपी/बीसीआर/ग्रेड–IV/एसीपी की व्यवस्था समाप्त मानी गई है यद्यपि ऐसा चयन करने वाले कर्मचारी के लिए यह व्यवस्था व्यक्तिगत रूप से प्रभावी रहेगी।
14. यदि किसी कर्मचारी ने 01.10.2000 के बाद तथा 23.03.2010 के पूर्व ओटीबीपी/बीसीआर/ग्रेड–IV/एसीपी आधारित कोई पदोन्नति या अपग्रेडेशन प्राप्त किया है तो उसे पहिली पदोन्नति माना जावेगा यद्यपि सम्बन्धित कर्मचारी यदि चाहेगा तो इस प्रकार की पदोन्नति या अपग्रेडेशन छोड़ने का विकल्प चुनकर एन ई पी पी के प्रावधानों के अनुसार पहिली पदोन्नति 01.10.2004 से प्राप्त कर सकेगा।
15. यदि किसी कर्मचारी को पद आधारित (जैसेः आरएम से टीएम तथा एलडीसी टीए से टीओए आदि आदि) कोई पदोन्नति 01.10.2000 के बाद तथा 01.10.2004 के पूर्व प्राप्त हुई है तो उसे पहिली पदोन्नति माना जावेगा। अतः इस प्रकार मानी गई पहिली पदोन्नति की तारीख से 7 साल बाद दूसरी पदोन्नति प्राप्त होगी।